

:: सूचना ::

राजस्थान एवं गुजरात राज्य के सीमा सुरक्षा बल के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबन्धि शिकायत निवारण के लिए दिनांक 17 और 18 फरवरी 2014 को समय 1000 बजे से 1600 बजे तक सहायक प्रशिक्षण केन्द्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है ।

सीमा सुरक्षा बल के पेंशनभोगी को पेंशन संबंधी कोई शिकायत हो तो उक्त पेंशनभोगी निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लेकर दिनांक 17 और 18 फरवरी 2014 को समय 1000 बजे से 1600 बजे तक सहायक प्रशिक्षण केन्द्र सीसुबल जोधपुर के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं:-

- i) पेंशनभागी/पेंशनभागी परिवार का नाम
- ii) रेजिमेंट नम्बर/इरला नम्बर
- iii) पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ ) नंबर
- iv) पेंशनभोगी/पेंशनभोगी परिवार का वर्तमान पत्ता
- v) टेलिफान नंबर, ईमेल/फैक्स नंबर
- vi) पेंशनभागी की जन्म तिथि (जन्म तिथि का प्रमाण पत्र संलग्न करें )
- vi) सेवानिवृत्ति की किस्म: अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अशक्त पेंशन आदि ।
- vii) यूनिट/मुख्यालय जिससे सेवानिवृत्त हुए ।
- viii) बैंक का नाम ओर पत्ता (पास बुक के पहले पृष्ठ की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें ।
- ix) बैंक खाता संख्या /बैंक का बीएसआर कोड
- x) पेंशनभागी के पति या पत्नी/परिवार पेंशनभागी की जन्म तिथि ।
- xi) शिकायत का ब्यौरा

3 न्यायालय के अधीन मामलों के संबंध में इस पेंशन अदालत में विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा । पेंशनर्स को यात्रा के लिए किसी भी प्रकार का किराया व यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।